

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/एलएचवी/सेनि0/आक्षेप/2018/

दिनांक:-

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

अलवर।

विषय:- श्रीमती विजयलक्ष्मी चावला., महिला स्वास्थ्य दर्शिका के सेवा निवृत्ति आदेश जारी करने बाबत।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 3379 दिनांक 13.11.17

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में श्रीमती विजयलक्ष्मी चावला, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बगडमेव खण्ड रामगढ, अलवर के सेवानिवृत्ति आदेश जारी करने के सम्बन्ध में लेख है कि कार्मिका के सम्बन्ध में तीन बिन्दुओं की विभागीय जांच की सूचना भिजवायें।

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्न कार्मिकों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

प्रकरण में कार्मिका की सेवा पुस्तिका में जन्म तिथि 30.08.1958 तथा शब्दों में तीस अगस्त उन्नीसो अठासी है जन्म तिथि में अंको व शब्दों में विरोधाभास है। स्पष्ट स्थिति भिजवायें।

(डा० घनश्याम बैरवा)
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर
दिनांक:- 24.01.18

क्रमांक:-नर्सिंग/एलएचवी/सेनि0/आक्षेप/2018/96

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रामगढ(अलवर)।
2. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।

(डा० घनश्याम बैरवा)
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर